विश्व स्तनपान सप्ताह 2006

विषय वस्तु

आई0एम0एस0 अधिनियम : जनता तक सन्देश पहुंचाये

लोगो को स्वयं कम्पनियों के प्रचार के तौर तरीको पर नजर रखने दें।

हर वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह के अन्तर्गत शिशुओं को स्तनपान कराने की प्रक्रिया को बचाने, बढ़ावा देने और उसको सम्बल देने के लिये एक महत्वपूर्ण विषय को उठाया जाता है । इस वर्ष वर्ल्ड एलायन्स फार ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन ने यह तय किया है कि स्तनपान को सुरक्षित रखने के लिये किस तरह डिब्बा बन्द दूध के विज्ञापनो और अन्य हानिकारक व्यापारिक तरीको का सर्वनाश किया जाय। इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह का नारा है–

"स्तनपान को बचाने की मुहिम की रजत जयंती"

भारत ने इस नीति को लागू करने के लिये "शिशु दुग्ध विकल्प, बोंतले और शिशु आहार (उत्पादन, विपणन और वितरण का नियमन) अधिनियम 1992 बनाया, जिसे 2003 में संशोधित करके और प्रभावशाली अधिनियम बना दिया गया है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोमोशन नेटवर्क ऑफ इण्डिया ने विश्व स्तनपान के उपरोक्त नारे का भारतीय रूपान्तर किया है–

"आई0एम0एस0 अधिनियम : जनता तक सन्देश पहुंचाये"

BREASTFEEDING SAVES LIVES
BPNI

WORLD BREASTFEEDING WEEK
1-7 AUGUST

वाबा का 2006 का नारा–"स्तनपान को बचाने की रजत जयन्ती"

प्रस्तावना :

स्तनपान शिशुओं के सर्वोत्तम विकास के लिये आदर्श आहार है। वह शिशु के स्वास्थ्य के विकास के लिये जैविक और भावनात्मक आधार देता है। बच्चों के जन्म में अन्तर रखने में, माँ के स्वास्थ्य पर, परिवार पर तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्तनपान के महत्व को अच्छी तरह से पहचान लिया गया है। यह जरूरी है कि स्तनपान को सुरक्षित रखा जाये और इसे और भी बढ़ावा दिया जाये। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को किसी भी ऐसे दुष्प्रभाव से बचाया जाना चाहिये जिससे स्तनपान में बाधा पहुँचे।

वर्षो से शिशु आहार के निमार्ताओं ने माताओं और स्वास्थ्य कर्मचारियों को डिब्बा बन्द दूध की ओर आकर्षित करने के लिए लुभावने नारों एवं विज्ञापनों, मुफ्त उत्पादों और सभी प्रकार के आकर्षक उपहारों का प्रयोग किया है। वे उन्हें गुमराह करते हैं कि स्तनपान तो सर्वोत्तम है ही, लेकिन बोतल से दूध पिलाना भी लगभग उतना ही अच्छा है।

डिब्बे के दूध, बोतल एवं शिशु आहार के निर्माताओं और विक्रेताओं ने इसका इतना व्यापक प्रचार प्रसार किया कि उससे स्तनपान में कमी आने लगी और इससे शिशुओ के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी ने इस भयानक खतरे को भांपते हुये 1960 के दशक में इसको रोकने के लिये एक आन्दोलन की शुरूआत की। इसकी सुखद परिणिति 1981 में हुई जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की आम सभा ने एक अन्तर्राष्ट्रीय संहिता स्वीकार की जिसमें डिब्बा बंद दूध के विक्रय के तरीको को तय करने की कोशिश की गयी।

द कोड फॉर मार्केटिंग ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीच्यूट्स

हिन्दुस्तान ने इस अन्तर्राष्ट्रीय संहिता को 1992 में एक कानून में बदल दिया जिसे हम आई0 एम0 एस0 अधिनियम कहते है और इस तरह का कानून बनाने वाले हम दुनिया के दसवें देश बन गये। थोड़ी देर से आये, मगर दूरूस्त आये। इस कानून को और अधिक धारदार बनाने के लिये और इससे बचाव के रास्तो को बंद करने के लिये 2003 में इसका संशोधन भी किया गया।

1994 में विश्व स्तनपान सप्ताह की विषयवस्तु थी–
"अधिनियम को काम करने दो"

पिछले 16 सालो में यह देखा गया कि डिब्बा बंद दूध के निर्माता किस तरह इस कानून की धज्जियां उड़ाते रहे है और अधिकारी इसे लागू करने में उदासीन बने रहते है। तब इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये फिर इसे 2006 की विषय वस्तु बनाया जाये।

स्तनपान सप्ताह 2006 के उद्देश्य –

इस सप्ताह के निम्नलिखित उद्देश्य है।–

1. जनता में, प्रचार माध्यमों में, अधिकारियों में, जन प्रतिनिधियों में आई0एम0एस0 अधिनियम के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। उसके उद्देश्य तथा उसकी ताकत के बारे में बताना।
2. जनता को, स्वयंसेवी संस्थाओं को तथा व्यवसायिक परिसंघो को इस कानून को लागू करवाने के लिये प्रेरित करना और दोषियों पर नजर रखना।
3. कानून के निर्माताओं से इस बात की गुजारिश करना कि वो इस अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करें।

विश्व स्तनपान सप्ताह के पुरस्कार–

मार्च से अक्टूबर 2006 के बीच अधिक से अधिक लोगो तक आई0एम0एस0 अधिनियम की जानकारी पहुंचाये, यही इस वर्ष के पुरस्कारों हेतु चयन की कसौटी होगी। पुरस्कारों की घोषणा दिसम्बर '06 में की जायेगी।

कार्य करने हेतु कुछ विचार :

- अधिक से अधिक लोगों का ई मेल पता करके उन्हे अधिनियम की जानकारी दें।
- अधिनियम का स्थानीय भाषा में अनुवाद करें।
- जनहित में कार्य करने वाली स्थानीय संस्थाओं, उपभोक्ता समूहो, स्कूल तथा कालेजो से सम्बन्ध बनायें और उनके पते इकठ्ठे करें तथा अधिनियम की जानकारी दें।
- स्थानीय जनसंचार माध्यमों से सम्बन्ध बनाकर उन्हें इस अधिनियम की जानकारी दें। अपने सम्बन्धों को मजबूत करते हुये पूरे वर्ष (2006) इस कार्यक्रम को जोर–शोर से प्रेस में उठाते रहें।
- कम्पनियों के व्यवहार पर नजर रखें और अगर अधिनियम का उल्लंघन होता है तो उसे नोट करें। अगस्त 2006 में होने वाली सभाओं में उनके काले कारनामों का खुलासा करें।
- जनसभायें या सेमिनार करें, रेडियो तथा टेलीविजन पर अपनी बात रखें।
- स्थानीय विधायक, सांसद तथा सरकारी अधिकारियों से आप द्वारा किये गये कार्यो को समर्थन देने के लिये कहे। उन्हें एहसास हो कि यह उनकी भी जिम्मेदारी है कि यह अधिनियम लागू हो। उनके वक्तव्य को जनता तक पहुंचाये।

आई0एम0एस0 अधिनियम : जनता तक सन्देश पहुंचाये।

जानकारी के स्त्रोत –

- Protecting Mother's and Children- Law to protect , Promot and support Breastfeeding: Information Sheet No.2
  http://www.bpni.org/cgi/protectingsheet 2.pdf.
- Breaking the Law and under mining Breastfeeding - 1, Infromation Sheet No.10
- Nestle Breaks the law by Sponsring Homeopaths. Breaking the Law and undermining Breastfeeding series -2 (2005) Information sheet No.12
- Say no the sponserships. IBFAN Asia Pacific.
- Protecting Breastfeeding from Commercial Influence- IYCF Update -7
  http://www.bpni.org/cgi/update-7.pdf.
- India Protects Breastfeeding- Raising the bar : India sets even higher standered for Breastfeeding protection.
  http://www.bpni.org/cgi/Indiaprotectsbreastfeeding.pdf.
- The Law to protect, promote and support Breastfeeding. BPNI 2004 (2nd. ed.)

लेखक – डा0 कुलदीप खन्ना
परिकल्पना – अमित दहिया
हिन्दी अनुवाद – डा0 बी0बी0 गुप्ता एवं नूपुर।

ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क आफ़ इण्डिया
(बी0पी0एन0आई0)
बी0पी0–33, पीतमपुरा, दिल्ली– 110088
फोन : 011–27343608, 42683059
फैक्स : 011–27343606
ई मेल : bpni@bpni.org.
वेबसाईट : www.bpni.org

This WBW announcement has been developed and disseminated under the BPNI- UNICEF Project Cooperation agreement 2003-2007, "Strengthening Infant and Young Child Feeding in India" with the support of Ministry of Women and Child Development Govt. of India.

ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क आफ इण्डिया (बी0पी0एन0आई0), एक रजिस्टर्ड, स्वतंत्र, राष्ट्रीय संस्था है, जो बिना कोई लाभ लियें स्तनपान को सुरक्षित रखने, उसे बढ़ावा देने तथा उसे सम्बल प्रदान करने का कार्य करती है। वह शिशुओं तथा छोटे बच्चों को उचित सम्पूरक आहार देने के लिये भी कार्य करती है। बी0पी0एन0आई0 यह विस्वास करती है कि स्तनपान सभी माताओं और शिशुओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिये बी0पी0एन0आई0जनता में स्तनपान की वकालत करती है, सामाजिक समर्थन जुटाती है, सही जानकारी देती है तथा शिक्षा, अनुसंधान और ट्रेनिंग का कार्य करती है। साथ ही वह यह भी ध्यान रखती है कि कम्पनियां आई0एम0एस0 अधिनियम के अनुरूप कार्य करें।

बी0पी0एन0आई0 किसी भी डिब्बा बंद दूध, बोतल, तथा शिशु आहार या सम्बन्धित सामान बनाने वाली कम्पनी से कोई पैसा नही लेती है और न ही कोई कार्यक्रम उनसे प्रायोजित कराती है।